



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-102

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 279572 दिनांक 28/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Alok Kumar Chakraverty S/o Arun Kumar Chakraverty एवं Abhijeet Chakraverty C/o Arun Kumar Chakraverty	अंजना चक्रवर्ती पत्नी श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती	286	249.11 SQ. YARD	Cooperative	GAYATRI NAGAR-A (NAVJEEVA N GNSS) Sector/Block-	Name Transfer	अरुण कुमार चक्रवर्ती की मृत्यु दिनांक 18.11.2017 व अंजना चक्रवर्ती की मृत्यु दिनांक 04.01.2026 को हो चुकी है। उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.06.2011 को श्रीमति अंजना चक्रवर्ती पत्नी श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती द्वारा अपने तीन पुत्रान में 1 आलोक चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती 2. अमित चक्रवर्ती श्री अरुण कुमार चक्रवती 3 अभिजित चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती में से दो को पुत्रान 1 आलोक चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती को ग्राउण्ड फ्लोर व 2. अभिजित चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती को को प्रथम फ्लोर की वसीयत का निष्पादन किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Alok Kumar Chakraverty S/o Arun Kumar Chakraverty एवं Abhijeet Chakraverty C/o Arun Kumar Chakraverty को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |